SSD GD 2025

अवसर बैच

POLITY -

class - 04

अनुच्छेद - 12

शब्द की परिभाषित किया गया है।

The term is defined.

अनुच्छेद -12 के अनुसार 'राज्य' शब्द में निम्नलिखित शामिल है - According to article 12 the term 'State' includes the following -

(i) भारत की सरकार एवं संसद Government and Parliament of India.

(ii) राज्यों की सरकारें एवं विधानमण्डल State Governments and legislatures.

(iii) सभी स्थानीय प्राधिकारी, एवं All local authorities, and

(iv) अन्य प्राधिकारी। other authorities

अनुच्छेद - 13

इसके तहत् न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोन की शक्ति कहलाती है Under this, the court can declare any law void which is consistent with the fundamental rights. This power of the court is called the power of judicial review.

"न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अन्तर्गत वह विधानमण्डल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जाँच करते हैं।" The power of judicial review is the power of the courts to examine the constitutionality of acts passed by the legislature.

Art. 13 → मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच
Safe armor of fundamental rights

→ न्यायिक पुनर्विलोकन
judicial Review → USA से लिया है।

⇓

कि यदि संसद / विधानमंडल कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध (against of F.R.) तो ऐसे कानून का उच्चतम न्यायालय (supreme court) या or (High court) उच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन करके उसे रद्द (cancel) घोषित कर सकते हैं।

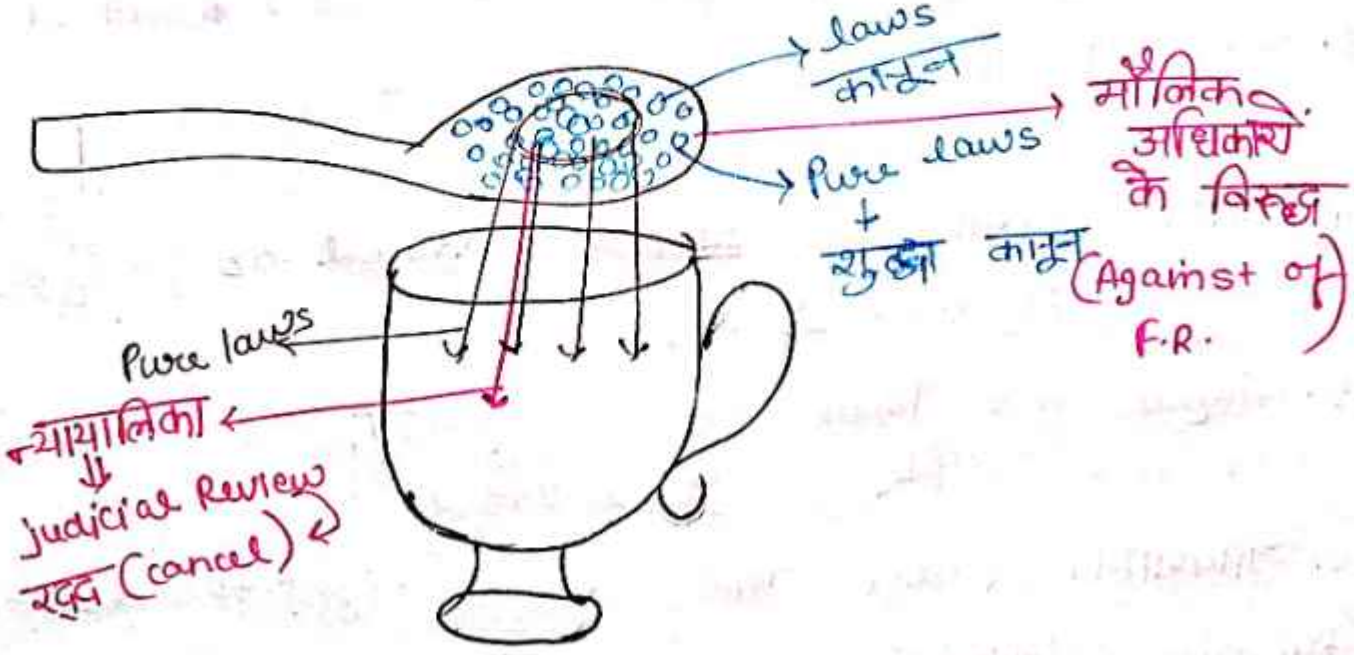

भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता था; किन्तु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। The original constitution of India provided a total of 7 fundamental rights to its citizens; but the fundamental right to property was abolished by the 44th constitutional Amendment Act in 1978.

मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या ⇒ 7

No. of fundamental rights in original constitution

↳ At present (वर्तमान में) ⇒ 6

वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। जो अधोलिखित हैं। यथा - At present, Indian citizens have a total of 6 fundamental rights. These are as follows. As-

1. समानता का अधिकार Right to equality (But. अनुच्छेद 14-18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार Right to freedom (अनुच्छेद 19-22)
3. शोषण के विरुद्ध का अधिकार Right against exploitation (अनुच्छेद -23-24)
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार right to religious fredom (अनुच्छेद- 25-28)
5. संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार cultural and educational rights (अनुच्छेद 29-30)
6. सांविधानिक उपचारों का अधिकार (Right to constitutional Remedies (अनुच्छेद - 32)

Art. 31
Art. 19(1)(f) > संपत्ति का अधिकार (Part (भाग) - III)
Right to property

⇓

44 वें संविधान संशोधन 1978 => संपत्ति के अधिकार को हटाया (Remove) गया।
44 Constitution Amendment 1978

⇒ वर्तमान में (In present) → संपत्ति का अधिकार
Right to property

Art. 300(A), Part (भाग) → XII — वैधानिक अधिकार Legal Right

विधि के समक्ष समता (Equality before law)

अनुच्छेद - 14 के अनुसार "राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।"

According to article 14, "The state shall not deny to any person equality before the law and the equal protection of the laws within the territory of India

→ ब्रिटेन से लिया

Art-14 => विधि के समक्ष समता (equality before the law)

→ विधि के समान संरक्षण (equal protection of law)
↳ USA से (taken from USA)

अनुच्छेद - 15 (1) - केवल मूल, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य को रोकता है।

Prohibits of the state from discrimination between citizens on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.

Art. 15 → भेदभाव का प्रतिषेध (Prohibition of discrimination)

Art. 15(1) => आधार (Grounds) ① धर्म (religion)
② मूलवंश (Race)
③ जाति (caste)
④ लिंग (Gender)
⑤ जन्म स्थान (place of birth)

कोई भी भारतीय नागरिक के साथ

Art - 15
Art - 16
Art - 19
Art - 29
Art - 30
=> only for Indian citizens
केवल भारतीय नागरिकों के लिए।

Art. 15 (2) => सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं।
Prohibited of discrimination on the public places,
ex- कुआ, तालाब, नदियों, मंदिर, पार्क etc.

Art - 15(3) => महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध
Special provision for women's children
⇓
सकारात्मक भेदभाव (Affirmative discrimation)

घर महिला

अनुच्छेद - 15(4) ⇒ इसके द्वारा राज्य को निम्न के संबंध में विशेष उपलब्ध करने की शक्ति प्रदान की गयी है–
Article - 15(4) empowers the state to make special provisions for the following-

1- सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, for socially and educationally backward citizens.
2. अनुसूचित जाति के लिए, तथा for scheduled castes, and
3. अनुसूचित जनजाति के लिए। for scheduled Tribes.

ध्यातव्य है कि शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15 (4) के तहत् ही किया गया है।
It is noteworthy that reservation in educational institutions is provided under Article 15(4)

Art - 15 (4) ⇒ Reservation (आरक्षण)
- → SEBC (socially & educationally backward classes) → (OBC)
  समाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग
- → ST ⇒ (Schedule Tribes) अनुसूचित जनजाति
- → SC = Schedule caste अनुसूचित जाति

⇓ सरकारी शैक्षणिक संस्थानो में (In Govt. educational Institution)

Art. 15(6), Art. 16(6) > Add on | जोड़ा गया
⇓
103 संविधान संशोधन 2019 Constitution Amendment

⇓ Reservation (आरक्षण) ⟹ EWS (Economic weaker sections)
आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग
⇓
10%

अनुच्छेद 15 (3) - राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए उनकी विशेष स्थिति के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है।

Art. 15(3) - Empowers the State to make certain special provisions for women and children based on their special situation.

अवसर की समानता (Equality of Opportunity)

अनुच्छेद - 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। Article-16 guarantees equality of opportunities in public employment.

- राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्त के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगें। अनुच्छेद-16 (1) All citizens shall have equal opportunity in respect of employment or appointment to any office under the State. Article-16 (1)] I)

Art. 16 → समान अवसर (equal opportunity)

Art. 16 (1) → रोजगार एवं नियुक्त में समान अवसर
equal opportunity in employment appointment → Govt. Job

Art - 16 (2) (Grounds) (आधार)
1. धर्म (religion)
2. मूलवंश (race)
3. जाति (caste)
4. लिंग (Gender)
5. जन्मस्थान (Place of Birth)
6. उद्भव (Descent)
7. निवास (Residence)

अस्पृश्यता का अंत (Abolition of Untouchability)

अनुच्छेद-17, / Article-17,

अनुच्छेद - 35 संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। Article-35 gives power to the parliament to make laws regarding untouchability. SC/ST Act

उपाधियों का अन्त (Abolition of Titles)

अनुच्छेद - 18

अनुच्छेद - 18 (1) के अनुसार राज्य, सेना (Military) तथा विद्या (Academic) संबंधी सम्मान के शिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।

Article-18(1) ~~Act~~ provides that the state shall not confer any title or title expect military and academic honours.

Art-18 - उपाधियों का प्रतिषेध
Abolition of Titles

उपाधि (Titles) :- लार्ड, सरदार, राणा, महात्मा, राय बहादुर etc.

exception (उपवाद) :- ① विद्या (Academic) ② सेना (Military) > दोनों में उपाधियों का प्रयोग

अनुच्छेद - 19 (1) द्वारा प्रदत्त 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं का स्थान सर्वप्रमुख है। यथा -

The six fundamental freedom provided under Article 19 (1) are of paramount importance. As -

(क) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता freedom of speech and expression.

(ख) शान्तिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता freedom of peaceful and unarmed assembly.

(ग) संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता freedom to form associations or unions → मजदूर संघ / Labour union
→ NGOs

(घ) भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता freedom of movement within the territory of India.

19(1)(a) → प्रेस की स्वतंत्रता
freedom of press

→ राष्ट्रीय झण्डा फहराने का अधिकार
Right to fly national flag.

→ चुप रहने का अधिकार
Right to keep silent

→ Right to Information
सूचना का अधिकार

(ड) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता
Freedom to reside and settle in any part of territory in India.

(च) कोई वृत्ति, जीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता | Freedom to practice any profession, occupation, trade or business.

Art. 19(1)(d) => भ्रमण की स्वतंत्रता
(Right to move)

Art. 19(1)(e) => निवास की स्वतंत्रता
(Right to residence)

Art. 19(1)(f) => संपत्ति का अधिकार
(Right to property) => हटाया (Remove) ✗